



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12092023-248664  
CG-DL-E-12092023-248664

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 632]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 12, 2023/भाद्र 21, 1945

No. 632]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 12, 2023/BHADRA 21, 1945

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 2023

सं. (एन-12011/01/2023-योजना एवं विकास) नई दिल्ली, 2023.—जबकि अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना को भारत के राजपत्र, (असाधारण), भाग III - खंड - 4 (क्रम संख्या 563) दिनांक 16.11.2021 में प्रकाशित अधिसूचना के माध्यम द्वारा 01.07.2021 से 30.06.2022 की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया था। जबकि अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना 01.07.2022 से 30.06.2024 की अवधि के लिए शिथिल पात्रता शर्तों तथा वर्धित राहत दर के साथ जोकि भारत का राजपत्र (असाधारण) भाग III खण्ड-4 (क्रम सं. 436), दिनांक 16.10.2020, क्रम सं. 15, दिनांक 11.01.2021 तथा क्रम सं. 58, दिनांक 27.01.2022 में अधिसूचित की गई, को आगे विस्तार करने हेतु मसौदा अधिसूचना भारत का राजपत्र (असाधारण), भाग III - खण्ड-4 (क्रम सं. 510), दिनांक 20.07.2023 को प्रकाशित की गई।

उक्त राजपत्र अधिसूचना दिनांक 20.07.2023 को जनता को उपलब्ध कराई गई थी; और इससे प्रभावित हो सकने वाले व्यक्तियों से कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ;

अतः अब, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा 97 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, भारत का राजपत्र (असाधारण), भाग III - खण्ड-4 (क्रम सं. 436), दिनांक 16.10.2020, क्रम सं. 15, दिनांक 11.01.2021 तथा क्रम सं. 58, दिनांक 27.01.2022 में यथा अधिसूचित वर्धित राहत दर तथा शिथिल पात्रता शर्तों के साथ अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना में 01.07.2022 से 30.06.2024 तक की अवधि के लिए विस्तार करने के अपने निर्णय को एतद्वारा अधिसूचित करता है।

दीपक जोशी, बीमा आयुक्त (यो. व. वि.)

[विज्ञापन III/4/असा./416/2023-24]

## EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

### NOTIFICATION

New Delhi, the 1st September, 2023

**No. (N-12011/01/2023-P&D) New Delhi, 2023.**—Whereas the Atal Beemit Vyakti Kalyan Yojana was extended for a period 01.07.2021 to 30.06.2022 vide notification published in the Gazette of India, (Extraordinary), Part III – Section - 4 (Sl. No 563) dated 16.11.2021. Whereas draft notification further to extend the Atal Beemit Vyakti Kalyan Yojana for a period 01.07.2022 to 30.06.2024 with relaxed eligibility condition and enhanced rate of relief notified in Gazette of India (Extraordinary) Part III Section – 4 (Sl. No. 436) dated 16.10.2020, Sl. No. 15 dated 11.01.2021 and Sl. No. 58 dated 27.01.2022 was published in the Gazette of India, (Extraordinary), Part III – Section - 4 (Sl. No. 510) dated 20.07.2023.

Whereas, the said Gazette notification was made available to the public on 20.07.2023. No suggestion or suggestion was received from the persons likely to be affected;

Now, therefore in exercise of the powers conferred upon it under sub-section (1) of section 97 of the Employees' State Insurance Act 1948 (34 of 1948), the Employees' State Insurance Corporation hereby notifies its decision to extend Atal Beemit Vyakti Kalyan Yojana for a period 01.07.2022 to 30.06.2024 with enhanced rate of relief and relaxed eligibility conditions as notified in the Gazette of India, (Extraordinary), Part III – Section - 4 (Sl. No 436) dated 16.10.2020, Sl. No. 15 dated 11.01.2021 and Sl. No. 58 dated 27.01.2022.

DEEPAK JOSHI, Insurance Commissioner (P&D)

[ADVT.-III/4/Exty./416/2023-24]



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20072023-247493

CG-DL-E-20072023-247493

xxxGIDHxxx

xxxGIDExxx

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 510]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 20, 2023/आषाढ 29, 1945

No. 510]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 20, 2023/ASHADHA 29, 1945

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जुलाई, 2023

सं. एन-12011/01/2023-योजना एवं विकास.—कर्मचारी राज्य बीमा निगम 1948 (1948 का 34) की धारा 97 की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना को भारत का राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना (असाधारण), भाग III - खंड - 4 (क्रम संख्या 563), दिनांक 16.11.2021 को 01.07.2021 से 30.06.2022 तक की अवधि के लिए विस्तारित किए जाने के साथ भारत का राजपत्र, (असाधारण), भाग III - खण्ड 4 (क्रम सं. 436), दिनांक 16.10.2020 में प्रकाशित अधिसूचना के माध्यम से दिनांक 24.03.2020 से 31.12.2020 तक की अवधि के दौरान राहत की दर में वृद्धि तथा पात्रता शर्तों में शिथिलता प्रदान की गई। योजना के अंतर्गत राहत के लिए शपथपत्र प्रपत्र में दावा करने हेतु शिथिलता, भारत का राजपत्र, (असाधारण), भाग III - खण्ड 4 (क्रम सं. 15), दिनांक 11.01.2021 में प्रकाशित अधिसूचना के माध्यम से प्रदान की गई। भारत का राजपत्र (असाधारण), भाग III - खण्ड 4 (क्रम सं. 146), दिनांक 06.04.2021 के माध्यम से दिनांक 01.01.2021 से 30.06.2021 तक की अवधि के लिए पात्रता शर्तें तथा अन्य शर्तों में बाद में शिथिलता प्रदान की गई।

भारत का राजपत्र, (असाधारण), भाग III – खंड 4 (क्रम संख्या 58) दिनांक 27.01.2022 में प्रकाशित अधिसूचना के माध्यम से बेरोजगारी से पूर्व 2 वर्ष बीमा-योग्य रोजगार की पात्रता शर्त को शिथिल करके 1 वर्ष बीमा-योग्य रोजगार कर दिया गया है।

अब यह निर्णय किया गया है कि भारत का राजपत्र (असाधारण) भाग III - खण्ड 4 (क्रम संख्या 436), दिनांक 16.10.2020, क्रम संख्या-15, दिनांक 11.01.2021 और क्रम संख्या-58, दिनांक 27.01.2022 में अधिसूचित अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना को शिथिल पात्रता शर्तों और राहत की दर में वृद्धि के साथ दिनांक 01.07.2022 से 30.06.2024 तक की अवधि के लिए विस्तारित किया जाए।

अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से तीस (30) दिनों की अवधि के भीतर, इसके संबंध में किसी भी व्यक्ति से कोई आपत्ति अथवा सुझाव प्राप्त होने पर कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा विचार किया जाएगा। आपत्तियाँ अथवा सुझाव, यदि कोई हों, तो उन्हें श्री दीपक जोशी, बीमा आयुक्त, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, पंचदीप भवन, सीआइजी मार्ग, नई दिल्ली 110002 (ईमेल पता : dir-pnd@esic.nic.in) को संबोधित किया जाए।

दीपक जोशी, बीमा आयुक्त (यो.व.वि.)

[विज्ञापन-III/4/असा./290/2023-24]

## EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

### NOTIFICATION

New Delhi, the 11th July, 2023

**No. N-12011/01/2023-P&D** .—In exercise of the powers conferred upon it under sub-section (1) of section 97 of the Employees' State Insurance Act 1948 (34 of 1948), the Employees' State Insurance Corporation had extended Atal Beemit Vyakti Kalyan Yojana for a period 01.07.2021 to 30.06.2022 vide notification published in the Gazette of India, (Extraordinary), Part III – Section - 4 (Sl. No 563) dated 16.11.2021 along with enhancement of rate of relief and relaxation in the eligibility conditions during the period 24.03.2020 to 31.12.2020 vide notification published in the Gazette of India, (Extraordinary), Part III – Section 4 (Sl. No 436) dated 16.10.2020. Relaxation in filing claim for relief under the scheme in affidavit form was granted vide notification published in Gazette of India, (Extraordinary), Part III – Section 4 (Sl. No. 15) dated 11.01.2021. Relaxation in eligibility conditions and other conditions were later extended for the period 01.01.2021 to 30.06.2021 vide notification published in the Gazette of India, (Extraordinary), Part III - Section 4 (Sl. No. 146) dated 06.04.2021. Later further relaxation in the eligibility condition of 2 years insurable employment to 1-year insurable employment before unemployment and contributory condition effective from 01.07.2021 vide notification published in the Gazette of India, (Extraordinary), Part III - Section 4 (Sl. No. 58) dated 27.01.2022.

Now it has been decided to extend the Atal Beemit Vyakti Kalyan Yojana for the period 01.07.2022 to 30.06.2024 with the relaxed eligibility conditions and enhanced rate of relief notified in the Gazette of India, (Extraordinary), Part III - Section 4 (Sl. No. 436) dated 16.10.2020, Sl. No. 15 dated 11.01.2021 and Sl. No. 58 dated 27.01.2022.

Any objection or suggestions, which may be received from any person in respect of notification within a period of thirty (30) days from the date of publication, will be considered by the Employees' State Insurance Corporation. The objections and suggestions, if any, may be addressed to Shri Deepak Joshi, Insurance Commissioner, Employees' State Insurance Corporation, Panchdeep Bhawan, CIG Marg, New Delhi 110002 (e-mail Id: dir-pnd@esic.nic.in).

DEEPAK JOSHI, Insurance Commissioner (P&D)

[ADVT.-III/4/Exty./290/2023-24]